



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1948 (श0)
(सं0 पटना 935) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

5 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-28/2026-6331/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 24, 2026]

बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2026

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 में संशोधन के लिए अधिनियम।

लोक व्यवस्था के संधारण के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने एवं उससे जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

- (1) यह अधिनियम बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह अधिनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. इस अधिनियम, 2024 की धारा-2 की उपधारा-2(ख)(i) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (i) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय VI या अध्याय XVII के तहत कोई दंडनीय अपराध करता है, या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या

3. इस अधिनियम, 2024 की धारा-2 की उपधारा-2(ख)(ii) में को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (ii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन महिलाओं और बच्चों की व्यापार से जुड़ा कोई भी अपराध करता है या करने में दुष्प्रेरण करता है; या भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय मानव व्यापार के किसी कृत्य को कारित करता है; या

4. इस अधिनियम, 2024 की धारा-2 की उपधारा-2(ख)(iv) में को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मों, मूलवंशीय या भाषाई दलों या जातियों या समुदायों के बीच शब्दों द्वारा या अन्यथा सोशल मीडिया का उपयोग करके शत्रुता या घृणा की भावना प्रोत्साहित या प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता हो; या

5. इस अधिनियम, 2024 की धारा-2 की उपधारा-2(ख)(vii) के स्पष्टीकरण 2 एवं 3 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-2 संगठित अपराध सिंडिकेट” से तात्पर्य है दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, जो सिंडिकेट या गिरोह के रूप में या तो अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करते हुए, संगठित अपराध की गतिविधियों में संलिप्त है, जैसा की भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-111 एवं 112 में विनिर्दिष्ट है।

स्पष्टीकरण-3 “ संगठित अपराध से तात्पर्य है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा सतत् रूप से की जाने वाली विधिविरुद्ध गतिविधि, जो या तो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, धन संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, हिंसा या हिंसा की धमकी या अभित्रास या प्रताड़ना या अन्य विधिविरुद्ध साधन के उपयोग द्वारा किया गया हो जैसा की भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-111 एवं 112 में विनिर्दिष्ट है; या

6. इस अधिनियम, 2024 की धारा-2 की उपधारा-2(ख)(x) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (x) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम, 2000 का 21) के अध्याय-xi के अधीन कोई दंडनीय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या उसे करने के लिए दुष्प्रेरण करता है या ऐसे ही किसी एक मामले में आरोप पत्र समर्पित किया गया है और उक्त व्यक्ति के विरुद्ध एन0सी0आर0पी0 पोर्टल पर तीन शिकायतें दर्ज की गयी हो; या

7. इस अधिनियम, 2024 की धारा-2 की उपधारा-2(ख)(xi) के नीचे निम्न प्रावधान शामिल किया जाएगा।

- 2(ख)(xii) किसी अधिकार के वैध प्रयोग या किसी वैध व्यवसाय, व्यापार, पेशे या वृत्ति में बाधा डालता है; या
- 2(ख)(xiii) किसी व्यक्ति को किसी चल या अचल सम्पत्ति से गैर कानूनी तरीके से बेदखल करता है; या
- 2(ख)(xiv) सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति को सारभूत हानि या क्षति पहुँचाता है; या
- 2(ख)(xv) किसी भी उत्खनन, खनन, वन उत्पाद या वन्यजीव से संबंधित कोई भी अवैधगतिविधि जिसके कारण सार्वजनिक कोष को सारभूत क्षति होता है; या
- 2(ख)(xvi) बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में परिभाषित लोक परीक्षा के संचालन के दौरान पेपर लीक या संगठित कदाचार में व्यक्ति या व्यक्तियों का समुह शामिल होता है; या
- 2(ख)(xvii) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत दंडनीय कोई अपराध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है या कारित करने में सहायता करता है।

8. इस अधिनियम, 2024 की धारा-2 की उपधारा-2(च) में को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—इस अधिनियम में जहाँ भी किसी असामाजिक तत्व के संबंध में वाक्यांश “अपराध कारित करता है” का प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम की उप-धारा (ख) में संदर्भित अपराधों के लिए न्यायालय में उसके विरुद्ध कम-से-कम दो ऐसे मामलों जिनमें इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी कार्रवाई के प्रारंभ होने से 5(पाँच) वर्ष पूर्व तक के मामलों में पुलिस प्रतिवेदन समर्पित किया गया हो, जिसमें उसकी संलिप्तता दिखाई गई हो तथा जिसके विरुद्ध या उस अवधि के दौरान किसी एक मामले में दोष सिद्ध किया गया हो।

9. इस अधिनियम, 2024 की धारा-2 की उपधारा-2(छ) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (छ) इस अधिनियम के प्रायोजनार्थ “दुष्प्रेरण” शब्द का अर्थ वही होगा जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-45 के तहत परिभाषित है।

10. इस अधिनियम, 2024 की धारा-7 की उपधारा-7(1)(ख) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—धारा 3, 4, 5 और 6 के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में किये गये आदेश के विनिर्दिष्ट किसी निदेश, अध्यपेक्षा, प्रतिषेध, प्रतिबंध या शर्त के सम्यक् अनुपालन के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभूओं के साथ या बिना एक बंधपत्र निष्पादित कर, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के उपबंध उस बंधपत्र के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी तरह लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता के अधीन निष्पादित या निष्पादित किये जाने के लिए अपेक्षित बंधपत्रों के संबंध में लागू होते हैं।

11. इस अधिनियम, 2024 की धारा-7 की उपधारा-7(2)(क) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—जिला दण्डाधिकारी, धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सूचना निर्गत करते समय उसकी गिरफ्तारी का वारंट उस पर उक्त संहिता की धारा-73 के उपबंधों के निबन्धन या एक साथ निदेश पृष्ठांकित कर, निर्गत कर सकेगा और उक्त संहिता की धारा-72 से धारा-92 तक के उपबंध, जहाँ तक हो सके, उस वारंट के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला दण्डाधिकारी एक न्यायालय हो।

12. इस अधिनियम, 2024 की धारा-7 की उपधारा-7(2)(ख) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—यदि व्यक्ति, जिससे किसी निदेश, अध्यपेक्षा, प्रतिषेध, प्रतिबंध या शर्त के अनुपालन के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, ऐसा न करे तो उसे कारागार को सुपुर्द कर दिया जाएगा या, यदि वह कारागार में ही हो तो उस कालावधि तक, जबतक वह निदेश, अध्यपेक्षा, प्रतिषेध, प्रतिबंध या शर्त प्रवर्तन में रहे, अथवा तबतक कि वह यथास्थिति जामिनों के साथ या बिना आदेश के निबंधों के अनुसार बंधपत्र निष्पादित न कर दे कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा और उक्त संहिता की धारा 119, 120, 121, 122, 123 और 124 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त एक न्यायालय हों।

13. इस अधिनियम, 2024 की धारा-7 की उपधारा-7(2)(ग) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—इस धारा के अधीन निष्पादित सभी बंधपत्रों के संबंध में उक्त संहिता की धारा 490, 492 और 494 यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त एक न्यायालय हो।

14. इस अधिनियम, 2024 की धारा-8 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि धारा 3 या धारा 5 के अधीन आदेश करने या उसकी पुष्टि की आवश्यक, स्थिति विद्यमान है या नहीं, ऐसे किसी भी साक्ष्य पर विचार कर सकेगा जिसे वह प्रमाणकारी महत्व को समझता हो और उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

15. इस अधिनियम, 2024 की धारा-12 की उपधारा-12(2) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—यदि किसी जिला दण्डाधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में विद्यमान या संभावित परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह एक लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उस कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, वह जिला दण्डाधिकारी भी, यदि उपधारा (1) में उपबंधित रूप से उसका समाधान हो जाए तो, उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। परन्तु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि प्रथम बार 12 महीने से अधिक की नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार यदि उसका यथापूर्वोक्त रूप में यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक है तो, ऐसे आदेश में इस प्रकार संशोधन कर सकेगी ताकि ऐसी कालावधि में समय-समय पर एक बार में अधिक-से-अधिक छः महीने तक का विस्तार किया जा सकेगा।

16. इस अधिनियम, 2024 की धारा-13 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

निरुद्ध करने का आधार अलग करने योग्य—

जहां किसी व्यक्ति को हिरासत के आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया गया है, चाहे वह बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम 2026 की धारा 12 के तहत शुरू होने से पहले या बाद में किया गया हो, जो दो या दो से अधिक आधारों पर किया गया हो, हिरासत का ऐसा आदेश ऐसे प्रत्येक आधार पर अलग से बनाया गया माना जाएगा और तदनुसार—

17. इस अधिनियम, 2024 की धारा-14 को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—**निरुद्ध करने के आदेश का निष्पादन**—निरोध आदेश का निष्पादन भारत में किसी स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन गिरफ्तारी के वारंट के लिए उपबंधित रीति से किया जायेगा।

18. इस अधिनियम, 2024 की धारा-17 की उपधारा-17(2) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट की जाने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84, 85, 87 और 88 के उपबंध उस व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति, पर लागू होंगे मानो उसके विरुद्ध किया गया वह निरुद्ध आदेश दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया एक वारंट हो।

19. इस अधिनियम, 2024 की धारा-17 की उपधारा-17(4) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अपराध होगा।

बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

5 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-28/2026-6332/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2026 को अनुमत **बिहार अपराध नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 24, 2026)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम दूबे,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 24, 2026]

THE BIHAR CONTROL OF CRIMES (AMENDMENT) ACT, 2026
AN
ACT

to amend the bihar control of crimes act, 2024 (Bihar act 12, 2024).

BE it enacted by the state legislature of bihar in the seventy seventh year of the republic of india as follows :-

1. Short title, extent and commencement.—

- (1) This Act may be called the Bihar Control of Crimes (Amendment) Act , 2026.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) This Act shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Amendment in sub Section-2(b)(i) of Section-2 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.

" commits, or attempts to commit or abets the commission of any offence punishable under Chapter VI or Chapter XVII of the Bhartiya Nyaya Sanhita 2023;"

3. Amendment in sub Section-2(b)(ii) of Section-2 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.

commits or abets the commission of, any offence connected with trafficking in women and children under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956; or any act of Human Trafficking punishable under Bhartiya Nyaya Sanhita 2023;" or

4. Amendment in sub Section-2(b)(iv) of Section-2 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.

"by words or otherwise, including use of social media platforms, to promote or attempt to promote, feelings of enmity or hatred on grounds of religion, race, language, caste or community or any other grounds whatsoever between different religions, racial or language groups or castes;" or

5. Amendment in Explanation 2 and 3 of sub Section-2(b)(vii) of Section-2 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.

Explanation-2: For the purpose of this sub-section, "organized crime syndicate" means a group of two or more persons who, acting either singly or collectively, as a syndicate or gang indulging in activities of organized crime as specified in Section 111 and 112 of Bhartiya Nyaya Sanhita 2023.

Explanation-3: "Organized crime" means any continuing unlawful activity by any person, singly or collectively, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence or threat of violence or intimidation or coercion, or other unlawful means, with the objective of gaining pecuniary benefits, or gaining undue economic

or other advantage for himself or any person; as specified in Section 111 and 112 of Bhartiya Nyaya Sanhita 2023.; or

6. ***Amendment in sub Section-2(b)(x) of Section-2 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.***—commits or attempts to commit or abets the commission of any offence, punishable under Chapter XI of the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000); charge sheeted in one such case along with three entries of complaint against said person on NCRP Portal; or

7. ***Insertion of 2(b)(xii), 2(b)(xiii), 2(b)(xiv), 2(b)(xv), 2(b)(xvi) and 2(b)(xvii) after sub section-2(b)(xi) of Section-2 of the said Act, 2024:-***

"2(b)(xii) obstruction to the lawful exercise of any right or to any lawful business, trade, profession or occupation; or

2(b)(xiii) unlawful dispossession of any person from any movable or immovable property; or

2(b)(xiv) substantial loss or damage to public or private property; or

2(b)(xv) any illegal activity relating to any quarrying, mining, forest product or wildlife which causes substantial loss to the public exchequer; or

2(b)(xvi) individual or group of persons involved in paper leaks or organised malpractices during conduct of public examination defined in The Bihar Public Examination (Prevention of Unfair Means) Act, 2024; or

2(b)(xvii) commits or attempts to commit or abets the commission of any offence, punishable under the Explosive Substances Act 1908."

8. ***Amendment in sub Section-2(f) of Section-2 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.***—The phrase "commits an offence" wherever used in relation to an anti-social element in this Act means a person, against whom prior to five years of the commencement of any action under this Act, not less than two cases in which police report has been filed in the Court of law showing his involvement in offences referred to in sub-section (b) or convicted in one case during that period.

9. ***Amendment in sub Section-2(g) of Section-2 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.***—the word "abet" shall have the same meaning as assigned to it under Section 45 of the Bhartiya Nyaya Sanhita 2023.

10. ***Amendment in sub Section-7(1)(b) of Section-7 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following .***—Securing the due observance of any direction, requirement, prohibition, restriction or condition specified in an order made in respect of any person under Section 3, Section 4, Section 5 or Section 6 require such person to enter into a bond, with or without sureties, and the provisions of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 shall mutatis mutandis apply in relation to such bond as they apply in relation to bonds executed or required to be executed under the said Sanhita.

11. ***Amendment in sub Section-7(2)(a) of Section-7 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.***—the District Magistrate while issuing notice to any person under sub-section (1) of Section 3, may issue warrant for his arrest with

endorsement thereon of a direction in terms of the provisions of Section 73 of the said Sanhita and the provisions of Sections 72 to 92 of the said Sanhita shall, so far as may be apply in relation to such warrant as if the District Magistrate were a Court.

12. ***Amendment in sub Section-7(2)(b) of Section-7 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.***—if any person who is required to execute a bond for the observance of any direction, requirement, prohibition, restriction or condition fails to do so, he shall be committed to prison or, if he is already in prison, be detained in prison until the period for which the direction, requirement, prohibition, restriction or condition is to operate or until the time he executes the bond with or without sureties, as the case may be, in terms of the order, and the provisions of Sections 119, 120, 121, 122, 123 and 124 of the said Sanhita shall mutatis mutandis apply as if the District Magistrate or the Commissioner were a Court;

13. ***Amendment in sub Section-7(2)(c) of Section-7 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.***—Sections 490, 492 and 494 of the said Sanhita shall mutatis mutandis apply in relation to all bonds executed under this Section as if the District Magistrate or the Commissioner were a Court.

14. ***Amendment in Section-8 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.***—The District Magistrate or the Commissioner may for the purpose of satisfying himself as to whether the condition necessary for the making or confirmation of an order under Section 3 or Section 5 exist or not take into consideration any evidence which he considers to have probative value and the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023, shall not apply thereto.

15. ***Amendment in Section-12(2) of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.***—If, having regard to the circumstances prevailing or likely to prevail in any area within the local limits of the jurisdiction of a District Magistrate, the State Government is satisfied that it is necessary so to do, it may by an order in writing direct, that during such period as may be specified in the order, such District Magistrate may also, if satisfied as provided in sub-section (1) exercise the power conferred upon by the said sub-section:

Provided that the period specified in an order made by the State Government under this sub-section shall not, in the first Instance exceed twelve months, but the State Government may, if satisfied as aforesaid that it is necessary so to do, amend such order to extend such period from time to time by any period not exceeding six months at any one time.

16. ***Amendment in Section-13 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.***—

Grounds of detention severable.—here a person has been detained in pursuance of an order of detention whether made before or after the commencement of the Bihar Control of Crimes (Amendment) Act 2026 under Section 12 which has been made on two or more grounds, such order of detention shall be deemed to have been made separately on each of such grounds and accordingly.

17. *Amendment in Section-14 of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.*

Execution of detention order.—The detention order may be executed at any place in India in the manner provided for the execution of warrants of arrest under the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

18. *Amendment in Section-17(2) of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.*—Upon the making of a report against any person under clause (a) of sub-section (1), the provisions of Sections 84, 85, 87 and 88 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 shall apply in respect of such person and his property as if the detention order made against him were a warrant issued by the Magistrate.

19. *Amendment in Section-17(4) of the said Act, 2024 shall be substituted by the following.*—Notwithstanding anything contained in the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 every offence under sub-section (3) shall be cognizable.

Balaram Dubey,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 935-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>